

**No 2(42) /97-DPE(WC)-GL-VIII/2011**  
**Government of India**  
**Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises**  
**Department of Public Enterprises**

**Public Enterprises Bhawan**  
**Block No. 14, CGO Complex,**  
**Lodhi Road, New Delhi-110003**  
**Dated: 20th April, 2011**

**OFFICE MEMORENDUM**

**Sub:- Payment of DA to CDA pattern employees of CPSEs governed by HPPC recommendations.**

The undersigned is directed to refer to para 2 and Annexure-III of this Department's O.M. of even No. dated 24.10.97 wherein the rates of DA payable to the employees of CPSEs following CDA pattern pay scales, who are governed by HPPC recommendations had been indicated.


2. In continuation of this Department's O.M. of even No. 28.10.2010, the rates of Dearness Allowance w.e.f. 01.01.2011 payable to the employees of CPSEs governed by the recommendations of the HPPC, which have not revised their pay scales in terms of DPE O.M. No. 2(54)2008-DPE(WC) dated 14.10.2008 may be as follows :-

a) In case of CPSEs who have not allowed the benefit of merger of 50% of DA with basic pay as contained in DPE O.M. dated 24.05.2005 to their employees, the DA payable may be enhanced from the existing rate of 153% to 165%.

b) In case of CPSEs who have allowed the benefit of merger of 50% of DA with basic pay as contained in DPE O.M. dated 24.05.2005 to their employees, the DA payable may be enhanced from the existing rate of 103% to 115%.

3. The payment of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupees and the fractions off less than 50 paise may be ignored.

4. All the Administrative Ministries/Departments of the Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the CPSEs under their administrative control for action their end.

  
(P.J. Michael)  
Under Secretary

To

All Administrative Ministries/Departments of Government of India.

Copy to:-

1. The Chief Executives of Central Public Sector Enterprises.
2. The Comptroller and Auditor General of India, (Commercial Audit Wing), 9, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi.
3. All Financial Advisers in the Administrative Ministries.
4. Department of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi.
5. NIC DPE for uploading this O.M. onto the DPE website.

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

\*\*\*\*

लोक उद्योग भवन,

ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

दिनांक : 20 अप्रैल, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति की अनुशंसाओं द्वारा शासित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटन वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान ।

\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 24 अक्तूबर, 1997 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 तथा अनुबन्ध-III का उल्लेख करने का निदेश हुआ है, जिसमें केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटन का अनुसरण करने वाले कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया था।

2. इस विभाग के दिनांक 28.10.2011 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के क्रम में उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति की अनुशंसाओं द्वारा शासित सरकारी उद्यमों, जिन्होंने लोक उद्यम विभाग के दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(54)/2008-लोउवि (मजूरी कक्ष) के सन्दर्भ में अपने वेतनमानों में संशोधन नहीं किया है, के कर्मचारियों को 01.01.2011 से देय महंगाई भत्ते की दरें निम्न प्रकार होंगी :-

(क) सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने अपने कर्मचारियों को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 24.05.2005 के कार्यालय ज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुसार मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते के विलय का लाभ की अनुमति नहीं दी है, उनमें देय महंगाई भत्ते की दर वर्तमान 153% से बढ़कर 165% हो जाएगी।

(ख) सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने अपने कर्मचारियों को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 24.05.2005 के कार्यालय ज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुसार मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते के विलय का लाभ की अनुमति दी है, उनमें देय महंगाई भत्ते की दर वर्तमान 103% से बढ़कर 115% हो जाएगी।

3. महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में शामिल 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए और 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।

4. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों के ध्यान में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए ला देने का अनुरोध किया जाता है ।

(पी. जे. माईकल)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ।
2. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, (वाणिज्यिक लेखापरीक्षा विंग), 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार ।
4. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस कार्यालय ज्ञापन को डीपीई की वेबसाइट पर डालने हेतु।